उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

16/8/24 पत्रावली आज पेश हुई। उभय पक्ष अभिभाषक उपस्थित। उभय पक्ष अभिभाषक की प्रार्थना पर 07 R11 सीपीसी पर बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण (प्रतिवादीगण) ने अपनी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी * कठूमर (अलवर) राज०	बहस मे निवेदन किया कि विवादित आराजी ख.न. 132 रकबा 0.09 हैक्ट. वाके ग्राम ईसरोता मे वादी (प्रार्थी) ने अन्य सह-खातेदारो को पक्षकार नही बनाया है। जिस कारण वाद नॉन जोइन्डर ऑफ नेसेसरिज पार्टी होने से खारिज योग्य है। विवादित आराजी राजस्व रेकर्ड मे गै० मु० बाड़ा दर्ज है तथा उक्त आराजी का कोई हिस्सा मौके पर बंटा हुआ नही है। उक्त आराजी का तरफ पश्चिम का हिस्सा वादी के हक मे आया हुआ है तथा इस पर वादी का कोई कब्जा हो, इसके लिए वादी ने कोई बंटवारानामा या अन्य राजस्व दस्तावेज पेश नही किया है। विवादित आराजी की किस्म गै० मु० बाड़ा है जो आबादी के काम आ रही है। गै० मु० बाड़ा (आबादी) भूमि को सुनने का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को ना होकर सिविल न्यायालय को है। पैरोकार सरकार तहसीलदार कठूमर की दिनांक 22.03.2023 की मौका रिपोर्ट के अनुसार मौके पर विवादित आराजी ख.न. 132 पर प्रार्थीगण के मकानात बने हुए है तथा मौके पर निर्माण व कब्जा प्रार्थी का ही है जिससे यह स्वतः सिद्ध होता है कि मौके पर अप्रार्थी (वादी) काबिज नही है। अप्रार्थी स्थायी निषेधाज्ञा के जरिये गैर-कानूनी तरीके से कब्जा करना चाह रहा है। वादी ने हुक्मइम्तनाई का दावा पेश किया है जबकि वादी को बेदखली बाबत वाद पेश करना चाहिए था। विवादित आराजी पर किसी प्रकार की कोई काश्त नही हो रही है। अतः दावा वादी विधि से वर्जित एवं क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण भारी हर्जाने के खारिज फरमाया जावे। वकील अप्रार्थी (वादी) ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि दावा हुक्मइम्तनाई दावे मे सभी सह खातेदारो को पक्षकार

बनाया जाना जरूरी नहीं है। प्रार्थी [illegible]
भी नहीं है। प्रार्थी ख.न. 133 की आड़ में ख.न. [illegible]
जबरन कब्जा करना चाहता है। विवादित आराजी ख.न. [illegible]
की किस्म गै० मु० बाड़ा दर्ज है लेकिन उक्त आराजी से
प्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। अप्रार्थी
का तरफ पश्चिम 1/4 हिस्सा है। प्रार्थीगण के ख.न. [illegible]
पक्के मकानात बने हुए हैं जबकि अप्रार्थी का मौके पर
बाड़ा बना हुआ है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण
का प्रार्थना-पत्र धारा 07 R 11 सीपीसी का खारिज फरमाया
जावे।

हमने उभय पक्ष अभिभाषक की बहस पर मनन
किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन
किया। विवादित आराजी ख.न. 132 की किस्म गै० मु०
बाड़ा राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। विवादित आराजी पर मकानात
बने हुए हैं तथा उक्त भूमि कृषि कार्य हेतु उपयोग में नहीं
आ रही है। वादी द्वारा सभी सहखातेदारों को पक्षकार भी
नहीं बनाया है। वादी वकील ने अपनी बहस में इस
तथ्य को स्वीकार किया है कि प्रार्थी का विवादित आराजी
पर कब्जा है। अतः वादी का वाद विधि से वर्जित एवं
क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण खारिज किये जाने
योग्य प्रतीत होता है। अतः उभय पक्ष अभिभाषक बहस
एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर
प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11
सीपीसी का स्वीकार किये जाने के योग्य होने के
कारण स्वीकार किया जाता है। वादी का वाद प्रार्थना-
पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के स्वीकार होने
तथा विधि से वर्जित व क्षेत्राधिकार से परे होने के
कारण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली
फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद
तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.08.2024 को मेरे
द्वारा लिखा जाकर सरे-इजलास सुनाया गया।

[signature] 16.8.24
उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)